



चित्रकूट-पुलिस



(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/"शक्ति दीदी" द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व "शक्ति दीदी" अभियान के तहत आज दिनांक 09.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को "मिशन शक्ति" व "शक्ति दीदी" के सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित "एण्टी रोमियो स्क्वाड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनांक 09.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 11 वारण्टी व 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(i). 30नि0 श्री श्याम देव सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही आरक्षी शिवपूजन यादव द्वारा मु0नं0 1429/2014 धारा 100,452,323,504,427 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त 1.सुनील पुत्र सुकरू 2. छोटा पुत्र महावेद रैकवार 3.पप्पू पुत्र मुन्ना रैकवार 4. कामता पुत्र महादेव रैकवार निवासीगण शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). 30नि0 श्री दिनेश कुमार पांडेय थाना रैपुरा तथा उनके हमराही आरक्षी हेमंत आर्य द्वारा मु0अ0सं0 119/2012 धारा 279,337,338 भादवि0 थाना राजापुर के वारण्टी अभियुक्त धर्मेन्द्र गुप्ता पुत्र चुन्नू गुप्ता निवासी भौरी हाल पता ग्राम बसिला थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

- (iii). उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह थाना बहिलपुरवा तथा उनके हमराही आरक्षी जितेन्द्र मौर्य द्वारा मु0अ0सं0 24/2019 धारा 380,411 भादवि0 थाना जीआरपी कर्वी के वारण्टी अभियुक्त रवि पुत्र बृजलाल निवासी चुनकावन का पुरवा मजरा कर्का पडरिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
- (iv). उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुवा तथा उनके हमराही आरक्षी अतुल मिश्रा द्वारा एसटी0नं0 57/72 धारा 147,148,149,307 भादवि0 व 12/14 डीएए एक्ट के वारण्टी अभियुक्त सिकन्दर पुत्र ज्ञान निवासी दरसेड़ा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
- (v). उ0नि0 श्री रामाधार थाना बरगढ़ तथा उ0नि0 श्री अकरान खां, आरक्षी रंजीत यादव द्वारा मु0अ0सं0 07/2024 धारा 3/5क/8 गोवध निवा0 अधि0, 11 पशु क्रूरता अधि0 व 467,468,471 भादवि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट के वांछित अभियुक्त जुनेद अहमद पुत्र स्व0 जुबेर अहमद निवासी लखनपुर थाना एयरपोर्ट जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया।
- (vi). उ0नि0 श्री कालीदीन थाना भरतकूप तथा उनके हमराही आरक्षी अखिलेश सिंह तोमर द्वारा एसटी नं0 27/19 अ0सं0 431/18 धारा 133 विद्धुत अधि0 के वारण्टी अभियुक्त छेदी सिंह पुत्र दली सिंह नि0 ग्राम भगवतपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट गिरफ्तार किया गया।
- (vii). उ0नि0 श्री परशुराम यादव थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही आरक्षी संतोष यादव, आरक्षी राहुल द्वारा मु0अ0सं0 68/20 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त राजन रैदास पुत्र घनश्याम रैदास निवासी नांदी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
- (viii). उ0नि0 श्री राजोल नागर थाना मानिकपुर तथा उनके हमराही आरक्षी भास्कर शुक्ला द्वारा वारण्ट मु0नं0 1201/2020 मु0अ0सं0 89/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त प्रेमचन्द्र उर्फ बुलबुल पुत्र रामगोपाल कुशवाहा निवासी मुहल्ला सुभाषनगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
- (ix). चौकी प्रभारी सरैया श्री यदुवीर सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी अनुज दुबे, आरक्षी मनोज कुमार द्वारा मु0नं0 353/2022 धारा 411,413,414,419,467,468,471 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त अमानत पुत्र इहू बक्स निवासी ग्राम मुस्लिम पुरवा मजरा सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में आज दिनांक 09.06.2024 को पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में नये कानून की कार्यशाला का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा विधि विशेषज्ञों का स्वागत सम्मान किया गया। इस कार्यशाला में विधि विशेषज्ञों, अभियोजन अधिकारियों, शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा थाना/कार्यालयों के निरीक्षकों, उपनिरीक्षकों, दीवान/मुन्सियों एवं सीसीटीएनएस का कार्य देख रहे पुलिस कर्मियों को दिनांक 01.07.2024 से लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक संहिताय-2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 की धाराओं के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से पढ़ाया गया।

इस कार्यशाला में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह, प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री दिनेश त्रिपाठी, जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) श्री श्याम सुन्दर मिश्रा, विधि विशेषज्ञ प्रोफेसर श्री एम0पी0 तिवारी, विधि विशेषज्ञ प्रोफेसर श्री शिवशंकर सिंह, विधि विशेषज्ञ प्रोफेसर डा0 पूर्णदू मिश्रा, अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त, अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पियूष कुमार सिंह, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह एवं अन्य अभियोजन अधिकारी व शासकीय अधिवक्ता उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामकुमार तथा उनकी टीम द्वारा पुलिस टीम पर हमला करने वाले 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07/08.06.2024 की रात्रि में थाना भरतकूप अन्तर्गत ग्राम रौली कल्याणपुर में 12 बजे के बाद डीजे बजाने की शिकायत पर डीजे बजाने से रोकने पर रौली कल्याणपुर के ग्राम वासियों एवं उनके रिश्तेदारों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया था, जिसके सम्बन्ध में थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 93/24 धारा 147,148,149,353,332,307,323,504,506, 427,394 भादवि0 व 7 क्रि0 ला0 एवे0 एक्ट पंजीकृत किया गया था। कल

दिनांक 08.06.2024 को थाना भरतकूप पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त 1.मनोज कुमार 2. नीरज 3. रोहित पुत्रगण कालीदीन निवासीगण मनकी पुरवा थाना जमालपुर जनपद बांदा 4. सर्वेश पुत्र राजाराम निवासी महोखर वाइपास थाना जमालपुर जनपद बांदा 5. राजरानी पत्नी इन्द्रभवन निवासी मनीपुर थाना गिरवां जनपद बाँदा 6. पानकुमारी पत्नी महेश निवासी लुहिया थाना भरतकूप चित्रकूट 7. इन्दू प्रसाद पुत्र रामजी 8. सुशील पुत्र चन्द्रप्रसाद 9.नीलम पत्नी उमाशंकर 10.सुल्ता पत्नी फूलचन्द्र 11.सन्तोषी पत्नी महेन्द्र 12. साधन पत्नी सोनू निवासीगण रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट 13. महेश पुत्र गिल्ला निवासी ल्यौझा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री रामकुमार थाना भरतकूप
- 2.आरक्षी विजय
- 3.आरक्षी अखिलेश तोमर
- 4.आरक्षी शिवम मिश्रा
- 5.आरक्षी नरेन्द्र सिंह
- 6.आरक्षी विवेक सिंह
- 7.महिला आरक्षी दीपिका
- 8.महिला आरक्षी शिखा